

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/1736
दिनांक : 29/8/2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

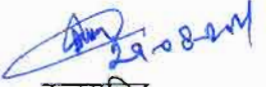
महोदय,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु इस पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप पर इस आशय का रू0 100/-का शपथ पत्र दिनांक 03.09.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करें (जिसकी प्रति विश्वविद्यालय ई-मेल araffiliation2021@gmail.com पर भी प्रेषित करें) कि दिनांक 30.11.2021 तक संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में कार्यरत शिक्षकों की अद्यतन स्थिति एवं विश्वविद्यालय के अनुमोदन पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराए।

शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में यदि संस्थान का नाम बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है तथा अन्य पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनाार्थ।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

संस्थान के सचिव, / अध्यक्ष, द्वारा कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को प्रेषित किये जाने वाले नोटरी युक्त एवं फोटो सहित ₹0 100/- के शपथ पत्र का प्रारूप।

मैं.....सचिव / अध्यक्ष (संस्थान का नाम)..... हूँ तथा शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

01. यह कि संस्थान / महाविद्यालय का नाम (पूर्ण नाम एवं पता)..... है। संस्थान को पाठ्यक्रम में दिनांक से स्थायी / अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

02. यह कि संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति व उनका विश्वविद्यालय से अनुमोदन दिनांक 30.11.2021 तक अवश्य करा लिया जाएगा।

03. यह कि यदि संस्थान दिनांक 30.11.2021 तक मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करता है तो संस्थान में प्रवेशित छात्र / छात्राओं का स्थानान्तरण किसी अन्य महाविद्यालय में कर दिया जाए। जिसके लिये संस्थान / महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

हस्ताक्षर शपथकर्ता